अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

04 20.12.2023	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, राँची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 130/2023 राज्य बनाम गुलजार हुसैन पिता हाँजी जवाहिर, निवासी नियर आई०एस०एम० चौक, पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) जिला राँची (झारखण्ड) .... विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 1489/डी०सी०बी० दिनांक 10.11.2023 द्वारा कुख्यात भू-माफिया, गुलजार हुसैन पिता हाँजी जवाहिर, निवासी नियर आई०एस०एम० चौक, पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) जिला राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:- 1. जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ0पी0) थाना कांड सं०-343/20 दिनांक-25.09.2020, धारा-406/420/506 भा०द०वि० 2. जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) थाना कांड सं०-394/22 दिनांक-12.10.2022,धारा-414/418/420/467/468/471/474/120 बी० भा०द०वि० 3. पुन्दाग ओ०पी० सन्हा सं0- 11/2023 दिनांक-09.09.2023 4. पुन्दाग ओ०पी० सन्हा सं0- 18/2023 दिनांक- 11.09.2023	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

5. पुन्दाग ओ०पी० सन्हा सं0– 16/2023 दिनांक– 26.09.2023

6. पुन्दाग ओ०पी० सन्हा सं0– 09/2023 दिनांक– 16.10.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, हटिया, राँची का ज्ञापांक–2694/23, दिनांक–06.11.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि कुख्यात भू–माफिया गुलजार हुसैन पिता हाँजी जवाहिर, निवासी नियर आई०एस०एम० चौक, पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) जिला राँची एक बड़े भू–माफिया है। इनका मुख्य पेशा लोगों को भय दिखाकर जमीन पर कब्जा करना, जमीन के नाम पर ठगी करना, सरकारी जमीन पर कब्जा करना एवं लोगों को हथियार दिखाकर भयाक्रांत करना मुख्य पेशा है। इनके भय से लोग दहशत में भी रहते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई होने पर आम लोगों को शांति एवं सुरक्षा का अनुभव होता है थाना में काण्ड दर्ज होने के उपरांत यह कुछ दिन सही रहते है तत्पश्चात उग्र एवं उदण्ड प्रवृति के रूप में आ जाते है। अपराधिक घटना में शामिल रहने के बावजूद भी संबंधित कांडों के पीड़ित गवाह एवं अन्य लोग भय से इनके खिलाफ गवाही देने तथा पुलिस को बताने को तैयार नहीं होते हैं। फलस्वरूप कई अन्य अपराधिक घटनाओं में शामिल होने के बावजूद भी संबंधित कांडों में अभियुक्तिकरण नहीं हो पाता है। इनके अपराधिक गतिविधि से आम जनता में भय दहशत एवं आतंक व्याप्त है। जिससे लोक व्यवस्था शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी के अनुसार – विपक्षी के खिलाफ लगाये गये सारे आरोप तथ्यहीन है। विपक्षी अपने चार पुत्री एवं दो पुत्रों के साथ काफी सादगी

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

से अपना जीवन व्यतीत कर रहे है। वे शान्तिप्रिय एवं कानून का पालन करने वाले व्यक्ति है। विपक्षी के खिलाफ दायर जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ० पी०) थाना कांड सं० 343/2020 मे पुलिस के द्वारा जॉचोपरान्त विपक्षी के खिलाफ लगाये गये आरोपो को असत्य पाया गया एवं दिनांक 28.10.2020 को अन्तिम प्रतिवेदन सं० 119/20 दाखिल किया गया है। जगरनाथपुर (पुन्दाग) ओ०पी० थाना कांड सं० 394/2022 मे विपक्षी के द्वारा दायर ए०बी०पी० सं० 2134/2023 मे माननीय न्यायालय के द्वारा no coercive steps against the petitioner का आदेश पारित किया गया है। विपक्षी के खिलाफ मात्र दो कांड दर्ज है। वे आंदतन अपराधकर्मी नही है। उनके खिलाफ दर्ज सनहा मे लगाये गये सारे आरोप गलत एवं बेबुनियाद है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक सक्रिय भु माफिया है। इनका मुख्य पेशा लोगों को भय दिखाकर जमीन पर कब्जा करना, जमीन के नाम पर ठगी करना, सरकारी जमीन पर कब्जा करना एवं लोगों को हथियार दिखाकर भयाक्रांत करना है। इनके आचरण से समाज में अशांति एवं आम जनता के बीच भय, आंतक एवं दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस कारण से लोक शाति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी द्वारा अपने बचाव मे कोई ठोस आधार या सबूत पेश नही किया गया है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी गुलजार हुसैन पिता हाँजी जवाहिर, निवासी नियर आई०एस०एम० चौक, पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) जिला राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4

गुलजार हुसैन पिता हाँजी जवाहिर, निवासी नियर आई०एस०एम० चौक, पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) जिला राँची को दिनांक 27.12.2023 से दिनांक 26.03.2024 तक की अवधि के लिए पुन्दाग ओ० पी० थाना, राँची में प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दियां जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, पुन्दाग ओ० पी० थाना के समक्ष रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 26.12.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 27.12.2023 से दिनांक 26.03.2024 तक प्रत्येक दिन पुन्दाग ओ० पी० थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में **good behavior** बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी गुलजार हुसैन पिता हाँजी जवाहिर, निवासी नियर आई०एस०एम० चौक, पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) जिला राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति गुलजार हुसैन पिता हाँजी जवाहिर, निवासी नियर आई०एस०एम० चौक, पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) जिला राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.12.30 02:12:18 -08:00
Location: 192.168.1.4